PUNJAB KESARI, Delhi, 16.12.2024
Page No. 5, Size:(11.23)cms X (25.65)cms.

सीआईएसएफ ने 29वीं अंतर सीएपीएफ वाद-विवाद प्रतियोगिता में समग्र सर्वश्रेष्ठ टीम रोलिंग ट्रॉफी जीती

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने एक बार फिर 29वीं अंतर सीएपीएफ वाद-विवाद प्रतियोगिता में समग्र सर्वश्रेष्ठ टीम रोलिंग ट्रॉफी जीतकर अपनी निरंतर सफलता का प्रदर्शन किया। यह प्रतियोगिता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के तत्वावधान में अटल अक्षय ऊर्जा भवन, लोधी रोड में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा आयोजित की गई थी। सीआईएसएफ की यह जीत इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी की 10वीं बार हासिल की गई है, जो बल की निरंतर प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य सीएपीएफ कर्मियों को मानवाधिकारों के मुद्दों पर अपनी जानकारी और समझ को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करना है। प्रतियोगिता में सीआईएसएफ के एसआई व एक्सई राहुल कुमार और असिस्टेंट कमांडेंट कान्हा जोशी ने हिंदी भाषा श्रेणी में क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं, अंग्रेजी भाषा श्रेणी में असिस्टेंट कमांडेंट कान्हा जोशी ने तीसरा स्थान हासिल किया। इसके अलावा, कमांडेंट अक्षय बडोला और असिस्टेंट कमांडेंट भास्कर चौधरी ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। सीआईएसएफ टीम की जीत उनके उत्कृष्ट वक्तृत्व कौशल, गहन शोध और मानवाधिकारों की गहरी समझ के कारण संभव हो पाई। प्रतियोगिता में एक प्रतिष्ठित निर्णायक मंडल भी शामिल था, जिसमें सुश्री ज्योतिका कालरा (पूर्व सदस्य, एनएचआरसी), प्रो. डॉ. जीएस बाजपेयी, और डॉ. ईश कुमार (पूर्व महानिदेशक, सतर्कता और प्रवर्तन, आईपीएस) शामिल थे। इस प्रतियोगिता में देश के आठ प्रमुख सीएपीएफ बलों- सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी, आरपीएफ और असम राइफल्स-ने भाग लिया।

HARI BHOOMI, Delhi, 16.12.2024
Page No. 2, Size:(7.62)cms X (7.30)cms.

सीआईएसएफ ने 29वीं सीएपीएफ वाद-विवाद प्रतियोगिता जीती

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने एक बार फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तत्वावधान में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा आयोजित 29वीं इंटर सीएपीएफ वाद-विवाद प्रतियोगिता में ओवरऑल सर्वश्रेष्ठ टीम रोलिंग ट्रॉफी जीती है। यह प्रतियोगिता अटल अक्षय ऊर्जा भवन, लोधी रोड में 13 दिसंबर को आयोजित हुई। यह सीआईएसएफ द्वारा 10वीं सफल जीत है। बल निरंतर प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमता को प्रदर्शित कर रहा है। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली यह प्रतियोगिता सीएपीएफ कर्मियों के लिए मानवाधिकार मुद्दों पर अपने ज्ञान और समझ को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करती है। उप महानिरीक्षक दीपक वर्मा ने बताया कि उपनिरीक्षक राहुल कुमार और सहायक कमांडेंट कान्हा जोशी ने हिंदी भाषा वर्ग में क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। सहायक कमांडेंट अक्षय बडोला और सहायक कमांडेंट भास्कर चौधरी ने अंग्रेजी भाषा वर्ग में क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया।

सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी, आरपीएफ और असम राइफल्स ने प्रतियोगिता में भाग लिया।

MIDDAY, Mumbai, 16.12.2024
Page No. 12, Size:(11.18)cms X (10.19)cms.

BMC doesn't really care for a poor man's life

Apropos 'NHRC pulls up BMC for manual scavenging', this is not enough of a deterrent as all the BMC work is done by contractors and they don't bother about safety gear and hire people on a daily basis. Human life has no value in the BMC's book.

MAYA HEMANT BHATKAR

PIONEER, Bhubaneswar, 16.12.2024
Page No. 2, Size:(17.42)cms X (21.52)cms.

Cuttack college girl gang-rape

NHRC seeks ATR from Police Commissioner

PNS ■ BHUBANESWAR

The National Human Rights Commission (NHRC) has sought an action-taken report (ATR) within four weeks from the Twin City Commissioner of Police on the gang-rape and blackmailing of a college girl in Cuttack..

The NHRC issued the direction On December 9 acting on a complaint filed by Kendrapada-based rights activist Sagar Jena.

The complainant alleged that the victim girl had gone to a café in Cuttack's Puri Ghat area to celebrate her birthday with her boyfriend. Her boyfriend, with the help of the owner of the café owner, captured their intimate moments.

Later, her boyfriend and his four friends used the videos and raped the girl repeatedly by blackmailing her. The victim later knocked at the doors of the Badambadi police station.Acting on the FIR, the police arrested six persons, including the boyfriend of the victim and the café owner.

The complainant Jena demanded strict action against the accused and a compensation of Rs 10 lakh for the victim.

AMAR UJALA (MY CITY), Haridwar, 16.12.2024
Page No. 3, Size:(19.41)cms X (17.91)cms.

वाटिका का मानवाधिकार आयोग के संयुक्त सचिव ने किया निरीक्षण

वात्सल्य वाटिका में निरीक्षण करती टीम। - संवाद

बहादराबाद। अशोक सिंघल सेवा धाम (वात्सल्य वाटिका) में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली के संयुक्त सचिव डा. अशोक कुमार वर्मा ने वाटिका का निरीक्षण किया गया। प्रबंधन से वाटिका की व्यवस्थाओं की जानकारी भी हासिल की।

आयोग के संयुक्त सचिव ने वाटिका में टेबिल टेनिस कोट, अग्निवीर अकादमी, ताइक्वांडो, फुटबाल मैदान, वाटिका परिसर, कार्यालय, भोजनालय, छात्रावास और कार्यालय की समस्त फाइलों का अवलोकन किया। उन्होंने वाटिका में आने बच्चों के प्रवेश की जानकारी प्राप्त की। बच्चों से भी बातचीत कर शैक्षणिक कार्य और भोजन, रहने की व्यवस्थाओं के बारे में जाना। उनसे वाटिका में रहने वाले व्यवस्थापकों के व्यवहार के बारे में भी जानकारी हासिल की। वाटिका प्रबंधन को बच्चों की उचित देखभाल करने के निर्देश दिए।

इस मौके पर जिला प्रोबेशन अधिकारी अविनाश सिंह भदौरिया, वात्सल्य वाटिका के प्रबंधक प्रदीप मिश्रा, कोषाध्यक्ष नरेश वर्मा, प्रधानाचार्य उदयराज सिंह, प्रकल्प अधीक्षक सुरेंद्र सिंह, फुटबाल कोच दिलीप दास, ताइक्वांडो कोच अमन राजपूत, कार्यालय प्रमुख नंदलाल वर्मा आदि मौजूद रहे। संवाद

Bhopal gas tragedy: NHRC directs Union, MP governments to safeguard human rights

https://www.newindianexpress.com/nation/2024/Dec/15/bhopal-gas-tragedy-nhrc-directs-union-mp-governments-to-safeguard-human-rights

The Bhopal gas tragedy has scientific and environmental implications including human, health risks, and contaminated soil, water and air, the plea said.

Suchitra Kalyan Mohanty Updated on: 15 Dec 2024, 5:26 pm 2 min read

NEW DELHI: The National Human Rights Commission (NHRC) directed the Centre and State governments to ensure basic human rights of people affected by the Bhopal gas tragedy. The Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh have been requested to appropriately dispose of toxic waste in the region.

The NHRC passed the order in response to a petition filed by Supreme Court advocate and noted human rights activist, Radhakanta Tripathy.

The petitioner, Tripathy, stated that four decades after the Bhopal gas tragedy, toxic waste continues to fester on the accident site and violation of residents' human right continues unabated.

As per the plea, it is estimated that more than 22,000 people died from MIC (Methyl Iso Cyante) exposure and more than half a million were maimed for life. Survivors have faced chronic health issues, three generations of birth defects, economic consequences, and ongoing groundwater contamination from unsafe disposal of poisonous wastes at the pesticide plant.

2nd December 2024 marked 40 years since the Bhopal gas leak disaster happened, one of the worst industrial catastrophes and corporate negligence cases in living memory, not only in India but worldwide, the plea said.

About 2 kilometres (1.24 miles) from the site of the tragedy in Brij Vihar colony, several houses have been locked up, with residents fleeing to the better parts of the city due to the toxic groundwater. The victims of Bhopal gas Tragedy are still seeking justice and accountability from the corporations that waged a genocide 40 years ago, Tripathy stated.

The Bhopal gas tragedy has scientific and environmental implications including human, health risks, and contaminated soil, water and air, the plea said.

It added that the tragedy also disrupted the ecosystems and threatening biodiversity and severely affected agriculture, hazardous chemicals damage plant cells, inhibit photosynthesis, stunt growth, and reduce crop productivity.

The release of toxins into the environment leads to bioaccumulation, where harmful substances enter the food chain and concentrate as they move up trophic levels, posing long-term risks to humans, wildlife and the environment at large, the plea stated.

Despite having numerous laws, government policies and judicial pronouncements, the people residing in surrounding areas suffer till date without basic human rights like safe drinking water, healthy environment and right to health. The Center and State governments have failed miserably to resolve the issues even after decades of the catastrophic incident, Tripathy alleged.

He has also requested the NHRC to recommend to the Center and the State to ensure the basic human rights of the victims of the gas tragedy and ensure potable drinking water, appropriate medical care and toxic-free environment for the people living in the nearby areas.

Acting on Tripathy's plea, the NHRC passed certain directions.

“This complaint be transmitted to the concerned authority for such action as deemed appropriate. The authority concerned is directed to take appropriate action within 8 weeks associating the complainant/victim and to inform him/her of the action taken in the matter,” the NHRC said in its order.

BPSC Paper Leak: हंगामा करने वाले 60 से अधिक छात्रों पर केस दर्ज, लगाया गया है ये संगीन आरोप

https://www.prabhatkhabar.com/state/bihar/bpsc-paper-leak-case-registered-against-more-than-60-students-who-created-ruckus

BPSC Paper Leak: बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान हंगामा करने वाले 60 से अधिक अभ्यर्थियों पर केस दर्ज किया गया है. पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामा करने के मामले में दंडाधिकारी के बयान पर यह एक्शन लिया गया है.

ByAbhinandan Pandey | December 15, 2024 10:14 AM

BPSC Paper Leak: बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान हंगामा करने वाले 60 से अधिक अभ्यर्थियों पर केस दर्ज किया गया है. पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामा करने के मामले में दंडाधिकारी के बयान पर यह एक्शन लिया गया है. थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह के अनुसार प्राथमिकी में सरकारी कामकाज में बाधा, सड़क जाम करने, परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न करने, जाम से हुई लोगों को परेशानी समेत अन्य बिंदुओं को केंद्रित किया गया है.

प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाकर किए थे हंगामा

पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपितों की पहचान कर कार्रवाई करेगी. एएसपी अतुलेश झा ने बताया कि अगमकुआं थाना में सुंसगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई है. जिसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है. गौरतलब है कि शुक्रवार को 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्र लीक होने और देर से देने का आरोप लगाते हुए अगमकुआं थाना क्षेत्र के कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा भवन में शुक्रवार को हंगामा कर सड़क जाम किया था.

डीएम के खिलाफ NHRC में शिकायत दर्ज

बता दें कि शुक्रवार को 70वीं बीपीएससी परीक्षा का आयोजन राज्य के लगभग सभी जिलों में किया गया था. जिसके लिए पूरे बिहार में 912 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. परीक्षा के दौरान पेपर लीक का आरोप लगाकर छात्रों ने पटना के कुम्हरार में बापू सेंटर पर हंगामा कर दिया.

इस दौरान मामला शांत कराने पहुंचे पटना डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने एक छात्र को थप्पड़ जड़ दिया. जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. थप्पड़ मारने के मामले में पटना डीएम के खिलाफ NHRC में शिकायत दर्ज कराई गई है. बता दें कि दिल्ली में रहने वाले वकील बृजेश सिंह ने डीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है.

BPSC एग्जाम में हंगामा किया तो अब खैर नहीं, हो गया बड़ा फैसला, अफवाह फैलाई तो होगा इतने साल का बैन

https://hindi.news18.com/news/bihar/patna-bihar-public-service-commission-new-order-aspirants-spreading-will-get-punishment-can-be-banned-for-5-years-bpsc-exam-paper-leak-8896839.html

Last Updated : December 15, 2024, 10:49 IST edited by :Preeti George

पटना. बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की प्रीलिम्स परीक्षा के दौरान जमकर हंगामा हुआ. इसके बाद अब आयोग ने बड़ा फैसला लिया है. अब बीएससी 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में हंगामा और अफवाह फैलाने वाले अभ्यर्थियों पर कार्रवाई की जाएगी. इतना ही नहीं बिहार लोक सेवा आयोग आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे परीक्षार्थियों पर 5 साल तक प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है. मालूम हो कि बापू परिसर परीक्षा केंद्र पर कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार किया था. अब ऐसे अभ्यर्थियों की पहचान की जा रही है. बापू परिसर परीक्षा केंद्र पर हंगामा करने वाले 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है.

परीक्षा खत्म होने के बाद कुम्हार के बापू सेंटर पर स्टूडेंट्स ने हंगामा शुरू कर दिया. इसी बीच स्थिति को संभालने आए डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने एक अभ्यर्थी को थप्पड़ जड़ दिया. अब इस मामले में नया मोड आया है. BPSC अभ्यर्थी को थप्पड़ मारने के मामले में पटना डीएम के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की गई है. बिहार के रहने वाले ब्रजेश सिंह नाम के शख्स ने NHRC में शिकायत दर्ज कराई है.

छात्रों ने लगाया था आरोप

पटना के बापू धाम के एग्जाम सेंटर पर अभ्यर्थी बीपीएससी 70वीं प्रीलिम्स एग्जाम देने पहुंचे थे. परीक्षा जैसे ही खत्म हुआ अभ्यर्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया. उनका आरोप था कि पेपर की सील पहले से ही खुली हुई थी. इतना ही नहीं पेपर आधे घंटे की देरी से मिला था. तो वहीं कुछ अभ्यर्थियों ने पेपर लीक तक का आरोप लगाया था.

कई परीक्षार्थियों के आरोप थे कि उन्हें प्रश्न पत्र ही नहीं दिए गए. वहीं कई का आरोप था कि उन्हें खुला हुआ प्रश्नपत्र मिला. इसके अलावा 12 बजे परीक्षा शुरू होने के कुछ देर बाद ही प्रश्नपत्र और ओएमआर शीट भी सड़क पर फेंकी हुई मिली. इन सब गड़बड़ियों से छात्र आक्रोशित हो गए थे. इसी हंगामे के दौरान डीएम चंद्रशेकर एक अभ्यर्थी की ओर बढ़े और उसे अचानक थप्पड़ मार दिया. वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो तेजी से सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया.

Launch probe into death of tribal man: NHRC

https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhubaneswar/launch-probe-into-death-of-tribal-man-nhrc/articleshow/116343413.cms

Dec 15, 2024, 11.05 PM IST

Bhubaneswar: National Human Rights Commission (NHRC) on Thursday asked the director general of police (DGP), Odisha, to probe a case related to the death of a tribal man inside the Similipal National Park in Mayurbhanj district. The man died on May 31 last year. It issued this direction after hearing a petition filed by human rights activist and lawyer Radhakanta Tripathy.

In the petition, Tripathy said the victim reportedly went into the national park area to search for his missing buffalo. During his movement, he was allegedly shot dead by the forest officials, who suspected him to be a poacher. "The perpetrators reportedly fled from the spot, leaving the body behind," Tripathy added.

Taking cognisance of the matter, NHRC, on July 19 last year, directed the state govt to provide requisite reports on this matter. The reports were received, and the matter was referred to the investigation division of the NHRC for analysis of the documents and submission of their report.

According to the police report, upon receiving information about the entry of some poachers into the sanctuary, the forest officials had laid an ambush. Apprehending imminent danger from the poachers, the forest officials had fired several rounds.

NHRC demands accountability from BMC over manual scavenging violations

https://www.mid-day.com/mumbai/mumbai-news/article/nhrc-demands-accountability-from-bmc-over-manual-scavenging-violations-23447030

Updated on: 15 December,2024 07:33 AM IST | Mumbai

Dipti Singh | dipti.singh@mid-day.com

NGO Govandi Citizens Welfare Forum, were the ones who took cognisance of the incident and filed a complaint to NHRC as far back as in April. The body also submitted photos of labourers of both male and female unclogging drains and removing filth by getting into a manhole without protective gear or gloves at Baiganwadi near Govandi

The National Human Rights Commission (NHRC) has cracked the whip on Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) for its failure to respond adequately to allegations of manual scavenging under its jurisdiction. This comes months after mid-day reported on the NHRC's initial intervention, where labourers were found cleaning gutters without protective gear in clear violation of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers Act, 2013.

In its latest directive dated December 12, 2024, the NHRC has reminded the Assistant Commissioner of M/East Ward, Alka Sasne, to submit a detailed explanation regarding the violations. The Commission has warned that failure to comply by January 19, 2025, will result in coercive action under Section 13 of the Protection of Human Rights Act, 1993.

NGO Govandi Citizens Welfare Forum, were the ones who took cognisance of the incident and filed a complaint to NHRC as far back as in April. The body also submitted photos of labourers of both male and female unclogging drains and removing filth by getting into a manhole without protective gear or gloves at Baiganwadi near Govandi.

Faiyaz Alam Shaikh, the complainant in the case and founder-president of the NGO Govandi Citizens Welfare Forum said, "In April, we witnessed both men and women without any safety gear, masks or boots, gloves, entering and cleaning nullahs in the Govandi and Chembur areas. We immediately reported the matter to the NHRC as the BMC ward office often neglects our complaints."

"Despite the intervention of the NHRC, the BMC does not appear to take the issue seriously. We are grateful to the Human Rights Commission for diligently following up on this case," Shaikh added. Assistant Commissioner of M/East ward Sasne did not respond despite repeated attempts by the reporter for a comment.

NHRC urges Centre, MP govt to ensure human rights in Bhopal gas tragedy aftermath

https://www.eastcoastdaily.in/2024/12/15/nhrc-urges-centre-mp-govt-to-ensure-human-rights-in-bhopal-gas-tragedy-aftermath.html

Dec 15, 2024, 08:16 pm IST

The National Human Rights Commission (NHRC) has directed the Central and Madhya Pradesh governments to ensure the protection of human rights for those affected by the Bhopal gas tragedy. In response to a petition by Supreme Court advocate and human rights activist Radhakanta Tripathy, the NHRC ordered the Ministry of Environment, Forest, and Climate Change and the Madhya Pradesh Chief Secretary to dispose of the toxic waste remaining at the disaster site. The petition highlighted the ongoing human rights violations stemming from the tragedy, even 40 years after it occurred, and emphasized the need for urgent action to address health, environmental, and social concerns.

Tripathy's petition underscored the tragic consequences of the 1984 gas leak, which resulted in over 22,000 deaths and left half a million people with long-term health issues. He pointed out that toxic waste contamination continues to affect groundwater, leading to chronic health conditions, birth defects, and displacement. Residents near the site, particularly in Brij Vihar, have abandoned their homes due to unsafe living conditions. The petition also emphasized the wider environmental impact, such as damage to soil, water, and biodiversity, and the bioaccumulation of toxins that pose risks to both humans and wildlife.

In its order, the NHRC acknowledged the urgency of addressing the victims' basic rights, including access to safe drinking water, proper medical care, and a clean environment. It instructed the authorities to take action within eight weeks and keep the petitioner informed of the progress. Tripathy called for accountability and justice for the affected residents, criticizing the government's failure to resolve these issues despite existing laws and policies. The NHRC's directive aims to mitigate the lingering effects of one of the worst industrial disasters in history.

Rishikesh News: सीआईएसएफ ने 10वीं बार जीती अंतर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल वाद-विवाद प्रतियोगिता

https://www.amarujala.com/uttarakhand/rishikesh/central-armed-police-forces-debate-competition-rishikesh-news-c-5-1-drn1013-571080-2024-12-16

देहरादून ब्यूरोUpdated Mon, 16 Dec 2024 01:42 AM IST

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने एक बार फिर 29वीं अंतर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल वाद-विवाद प्रतियोगिता जीती है। स्पर्धा 13 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (**एनएचआरसी**) के तत्वावधान में बीएसएफ की ओर से अटल अक्षय ऊर्जा भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली में हुई थी। सीआईएसएफ ने इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को 10वीं बार जीता है।

प्रतियोगिता में उपनिरीक्षक राहुल कुमार और सहायक कमांडेंट कान्हा जोशी ने हिंदी भाषा वर्ग में क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं, सहायक कमांडेंट अक्षय बडोला और भास्कर चौधरी ने अंग्रेजी भाषा वर्ग में क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। एनएचआरसी वाद-विवाद में मुख्य निर्णायक मंडल एनएचआरसी की पूर्व सदस्य ज्योतिका कालरा, निर्णायक मंडल के सदस्य प्रो. डॉ. जीएस बाजपेयी आदि शामिल रहे।

आठ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने लिया भाग

जौलीग्रांट। प्रतियोगिता में आठ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी, आरपीएफ और असम राइफल्स ने भाग लिया। उप महानिरीक्षक दीपक वर्मा ने कहा कि प्रतियोगिता तीन चरणों में संपन्न हुआ। प्रत्येक चरण के लिए कुछ खास विषय चुने गए थे। सीआईएसएफ की टीम में तीन लोग अक्षय बड़ोला, किरण खरायत, कान्हा जोशी उत्तराखंड से हैं।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल वाद-विवाद प्रतियोगिता : CISF ने जीता ओवर ऑल सर्वश्रेष्ठ टीम रोलिंग का खिताब

https://www.haribhoomi.com/state-local/chhattishgarh/news/central-armed-police-forces-debate-competition-cisf-won-title-of-overall-best-team-rolling-raipur-62499

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने एक बार फिर 29 वीं अंतर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल वाद-विवाद प्रतियोगिता में ओवर ऑल सर्वश्रेष्ठ टीम रोलिंग का खिताब जीता।

रायपुर। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने एक बार फिर 29 वीं अंतर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल वाद-विवाद प्रतियोगिता में ओवर ऑल सर्वश्रेष्ठ टीम रोलिंग का खिताब जीता। **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** के तत्वावधान में सीमा सुरक्षा बल द्वारा अटल अक्षय ऊर्जा भवनस लोधी रोड, नई दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

CISF ने इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को 10 वीं बार जीता है, जो बल के निरंतर बेहतर प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। हर साल आयोजीत होने वाली यह प्रतियोगिता केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्यों के लिए मानवाधिकार मुद्दों के बारे में अपने ज्ञान और समझ को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करती है।

ये रहे विजेता

उपनिरीक्षक राहुल कुमार और सहायक कमांडेंट कान्हा जोशी ने हिंदी भाषा वर्ग में क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। सहायक कमांडेंट अक्षय बडोला और सहायक कमांडेंट भास्कर चौधरी ने अंग्रेजी भाषा वर्ग में क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। सीआईएसएफ टीम की जीत उनके उत्कृष्ट वक्ता कौशल, गहन शोध और मानवाधिकारों की गहरी समझ के कारण हुई। राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी (निसा) में उनके प्रशिक्षण ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

आठ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने प्रतियोगिता में लिया हिस्सा

एनएचआरसी वाद-विवाद प्रतियोगिता में एक प्रतिष्ठित निर्णायक मंडल शामिल था, जिसमें मुख्य निर्णायक मंडल सुश्री ज्योतिका कालरा, एनएचआरसी की पूर्व सदस्य, निर्णायक मंडल के सदस्य प्रो. डॉ. जीएस बाजपेयी, एनएलयू दिल्ली के वीसी और डॉ. ईश कुमार, आईपीएस, पूर्व महानिदेशक, सतर्कता और प्रवर्तन शामिल थे। सभी आठ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी, आरपीएफ और असम राइफल्स ने प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसे तीन चरणों में संरचित किया गया था। प्रत्येक चरण के लिए निम्न विषय थे-

1) मानवाधिकारों के प्रति चिंता रखने वाला पुलिस बल अधिक प्रभावी बनता है
2) सुरक्षा बल मानवाधिकारों के सर्वोच्च रक्षक हैं और
3) हिरासत में मृत्यु हर परिस्थिति में अस्वीकार्य।

यह उपलब्धि मानवाधिकारों के प्रति सीआईएसएफ के समर्पण, जागरूकता को बढ़ावा देने और अपने समस्त पद के भीतर बौद्धिक विकास को बढ़ावा देने को दर्शाती है। यह सीआईएसएफ कर्मियों की उल्लेखनीय प्रतिभा और समर्पण को भी उजागर करता है, जो अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों के अलावा, महत्वपूर्ण सामाजिक मूल्यों के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

नौकरी के नाम पर 12 लाख की ठगी में भाजपा नेत्री का पति गिरफ्तार

https://www.livehindustan.com/bihar/muzaffarpur/story-bjp-leader-s-husband-arrested-for-job-scam-involving-cid-and-human-rights-commission-201734265789108.amp.html

मुजफ्फरपुर में, भाजपा नेत्री कनकमणि मिश्रा के पति प्रकाश मोहन मिश्रा को पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने आधा दर्जन युवकों से 12 लाख रुपये ठगे और...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर Sun, 15 Dec 2024, 05:59:PM

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। इंटेलीजेंस ब्यूरो, सीआईडी और राष्ट्रीय मानवाधिकार में नौकरी के नाम पर ठगी व फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड भाजपा नेत्री कनकमणि मिश्रा के पति प्रकाश मोहन मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। औराई पुलिस ने धरहरवा गांव निवासी प्रकाश को शनिवार शाम कोर्ट में पेश किया। औराई थानेदार सह प्रशिक्षु डीएसपी अभिजीत कमलेश ने आरोपित की गिरफ्तारी की पुष्टि की है।

आरोप है कि मंत्रालय से लेकर अधिकारियों में गहरी पैठ का झांसा देकर औराई के अलग-अलग गांव के आधा दर्जन युवकों से 12 लाख रुपये की ठगी की गई है। प्रकाश ने ऑनलाइन एप, बैंक खाता और कैश रुपये लिए। इसके अलावा 50 हजार रुपये में फर्जी आर्म्स लाइसेंस तक बनाकर दे दिया। बीते 17 अगस्त को उसके खिलाफ औराई थाने में सरहचिया के विपिन कुमार ने एफआईआर कराई थी। जांच में मामला सत्य पाए जाने पर औराई पुलिस को आरोपित प्रकाश की गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया था।

पीड़ित विपिन कुमार ने पुलिस को बताया है कि पांच नवंबर 2022 को मोबाइल पर प्रकाश से बात हुई। उसने खुद को सीआईडी इंस्पेक्टर बताया। प्रकाश ने 25 हजार रुपये में **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** में नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाया। बोला कि एक माह में नौकरी नहीं मिली तो रुपये वापस कर देंगे। उसने विपिन से 25 हजार रुपये लिये। इसके बाद नौकरी में लगने वाले प्रमाणपत्र के नाम पर रुपये लेता रहा। फिर आर्म्स लाइसेंस बनवाने के लिए 50 हजार रुपये लिया और फर्जी लाइसेंस बनाकर दे दिया। इसके बाद बोला कि अगर और कोई नजदीकी हो तो उसे लाइये। उनकी भी नौकरी लगवा देंगे। इसके बाद विपिन ने अपने नजदीकी व रिश्तेदारी के चार बेरोजगारों से प्रकाश मोहन का संपर्क करवाया। इसमें सरहचिया के अमरेंद्र अरविंद को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में नौकरी के लिए एक लाख रुपये लिया। फतेहपुर बरौना गांव के देवेंद्र राम को सीआईडी में नौकरी दिलवाने के लिए दो लाख रुपये लिए। हथौड़ी थाना के धनुषी निवासी सरिता कुमारी से आईबी में नौकरी के लिए तीन लाख 40 हजार रुपये लिये। विपिन ने आरोप लगाया कि नौकरी नहीं मिलने पर जब उसने रुपये लौटाने को कहा तो उसे मोबाइल कॉल पर धमकी दी। पीड़ित ने ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंपी है। वहीं, भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि कनकमणि मिश्रा भाजपा महिला मोर्चा में अधिकारी हैं। उनके पति प्रकाश मोहन मिश्रा भाजपा के सदस्य नहीं है। प्रकाश की गिरफ्तारी उनका व्यक्तिगत मामला है। इससे भाजपा का कुछ लेना देना नहीं है।

नौकरी के नाम पर 12 लाख की ठगी, BJP महिला नेता के पति गिरफ्तार, फर्जी आर्म्स लाइसेंस भी...

https://www.livehindustan.com/bihar/cheating-of-rs-12-lakh-for-job-in-human-rights-bjp-woman-leaders-husband-arrested-fake-arms-license-201734238863915.amp.html

मंत्रालय से लेकर अधिकारियों में गहरी पैठ का झांसा देकर औराई के अलग-अलग गांव के आधा दर्जन युवकों से 12 लाख रुपये की ठगी की गई है। प्रकाश ने ऑनलाइन एप, बैंक खाता और कैश रुपये लिए। इसके अलावा 50 हजार रुपये में फर्जी आर्म्स लाइसेंस तक बनाकर दे दिया।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर Sun, 15 Dec 2024, 10:38:AM

इंटेलीजेंस ब्यूरो, सीआईडी और राष्ट्रीय मानवाधिकार में नौकरी के नाम पर ठगी व फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड भाजपा नेत्री कनकमणि मिश्रा के पति प्रकाश मोहन मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। औराई पुलिस ने धरहरवा गांव निवासी प्रकाश को शनिवार शाम कोर्ट में पेश किया। औराई थानेदार सह प्रशिक्षु डीएसपी अभिजीत कमलेश ने आरोपित की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पुलिस मामले की अग्रेत्तर कार्रवाई में जुट गई है।

आरोप है कि मंत्रालय से लेकर अधिकारियों में गहरी पैठ का झांसा देकर औराई के अलग-अलग गांव के आधा दर्जन युवकों से 12 लाख रुपये की ठगी की गई है। प्रकाश ने ऑनलाइन एप, बैंक खाता और कैश रुपये लिए। इसके अलावा 50 हजार रुपये में फर्जी आर्म्स लाइसेंस तक बनाकर दे दिया। बीते 17 अगस्त को एफआईआर दर्ज कराते हुए पीड़ित विपिन कुमार ने पुलिस को बताया था कि पांच नवंबर 2022 को मोबाइल पर प्रकाश से बात हुई। उसने खुद को सीआईडी इंस्पेक्टर बताया। 25 हजार रुपये में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में नौकरी लगवाने की बात कही। बोला कि एक माह में नौकरी नहीं मिली तो रुपये वापस कर देंगे। उसने पहले 25 हजार रुपये लिये। बाद में नौकरी में लगने वाले प्रमाणपत्र के नाम पर रुपये लेता रहा। फिर आर्म्स लाइसेंस बनवाने के लिए 50 हजार रुपये लिया और फर्जी लाइसेंस बनाकर दे दिया। फिर बोला कि अगर और कोई नजदीकी हो तो उसे लाओ। उनकी भी नौकरी लगवा देंगे। इसके बाद विपिन ने अपने नजदीकी व रिश्तेदारी के चार बेरोजगारों से प्रकाश का संपर्क करवाया।

आरोपी ने सरहचिया के अमरेंद्र अरविंद को **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** में नौकरी के लिए एक लाख रुपये लिया। फतेहपुर बरौना के देवेंद्र राम को सीआईडी में नौकरी के लिए दो लाख रुपये लिए। हथौड़ी थाना के धनुषी निवासी सरिता कुमारी से आईबी में नौकरी को तीन लाख 40 हजार लिये। विपिन ने आरोप लगाया कि जब उसने रुपये लौटाने को कहा तो उसे मोबाइल कॉल पर धमकी दी। पीड़ित ने ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंपी है।

मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि कनकमणि मिश्रा महिला मोर्चा में अधिकारी हैं। उनके पति प्रकाश मोहन मिश्रा पार्टी के सदस्य नहीं है। गिरफ्तारी उनका व्यक्तिगत मामला है। पार्टी का कोई लेना देना नहीं है।

जांच में सत्य पाया मामला

औराई थाने में सरहचिया के विपिन कुमार ने एफआईआर कराई थी। जांच में मामला सत्य पाए जाने पर औराई पुलिस को आरोपित प्रकाश की गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया था।अधिकारियों के निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी की गयी है।

नौकरी दिलाने के नाम पर भाजपा नेता का पति वसूलता था पैसा, लाखों की ठगी के आरोप में हुआ गिरफ्तार

https://www.prabhatkhabar.com/state/bihar/patna/bihar-police-bjp-leaders-husband-used-to-collect-money-in-the-name-of-getting-job-arrested

Bihar Police: इंटेलीजेंस ब्यूरो, सीआईडी और राष्ट्रीय मानवाधिकार में नौकरी दिलाने के नाम पर भाजपा नेता के पति ने करीब आधा दर्जन बेरोजगारों से करीब 12 लाख रुपये की ठगी की है.

ByAshish Jha| December 15, 2024 11:10 AM

Bihar Police: पटना. सरकारी नौकरी और हथियारों के लाइसेंस दिलाने के नाम पर ठगी व फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड भाजपा नेता कनकमणि मिश्रा के पति प्रकाश मोहन मिश्रा को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. औराई प्रखंड के धरहरवा गांव निवासी प्रकाश को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. औराई थानेदार सह प्रशिक्षु डीएसपी अभिजीत कमलेश ने आरोपित की गिरफ्तारी की पुष्टि की है. पुलिस मामले की अग्रेत्तर कार्रवाई में जुट गई है.

प्राथमिकी के बाद हुई गिरफ्तारी

भाजपा नेता कनकमणि मिश्रा के पति प्रकाश मोहन मिश्रा पर आरोप है कि वो मंत्रालय से लेकर अधिकारियों में गहरी पैठ का झांसा देकर औराई के अलग-अलग गांव के आधा दर्जन युवकों से 12 लाख रुपये की ठगी की गई है. प्रकाश ने ऑनलाइन एप, बैंक खाता और कैश रुपये लिए. इसके अलावा 50 हजार रुपये में फर्जी आर्म्स लाइसेंस तक बनाकर दे दिया. औराई थाने में सरहचिया के विपिन कुमार ने एफआईआर कराई थी. जांच में मामला सत्य पाए जाने पर औराई पुलिस को आरोपित प्रकाश की गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया था. अधिकारियों के निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी की गयी है.

बेरोजगारों से ठगे लाखों रुपये

बीते 17 अगस्त को एफआईआर दर्ज कराते हुए पीड़ित विपिन कुमार ने पुलिस को बताया था कि पांच नवंबर 2022 को मोबाइल पर प्रकाश से बात हुई. उसने खुद को सीआईडी इंस्पेक्टर बताया. 25 हजार रुपये में **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** में नौकरी लगवाने की बात कही. बोला कि एक माह में नौकरी नहीं मिली तो रुपये वापस कर देंगे. उसने

पहले 25 हजार रुपये लिये. बाद में नौकरी में लगनेवाले प्रमाणपत्र के नाम पर रुपये लेता रहा. फिर आर्म्स लाइसेंस बनवाने के लिए 50 हजार रुपये लिया और फर्जी लाइसेंस बनाकर दे दिया. फिर बोला कि अगर और कोई नजदीकी हो तो उसे लाओ. उनकी भी नौकरी लगवा देंगे. इसके बाद विपिन ने अपने नजदीकी व रिश्तेदारी के चार बेरोजगारों से प्रकाश का संपर्क करवाया.

पुलिस को दी गयी ऑडियो कॉल की रिकॉर्डिंग

आरोपी ने सरहचिया के अमरेंद्र अरविंद को **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** में नौकरी के लिए एक लाख रुपये लिया. फतेहपुर बरौना के देवेंद्र राम को सीआईडी में नौकरी के लिए दो लाख रुपये लिए. हथौड़ी थाना के धनुषी निवासी सरिता कुमारी से आईबी में नौकरी को तीन लाख 40 हजार लिये. विपिन ने आरोप लगाया कि जब उसने रुपये लौटाने को कहा तो उसे मोबाइल कॉल पर धमकी दी. पीड़ित ने ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंपा है. इस मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि कनकमणि मिश्रा महिला मोर्चा में अधिकारी हैं. उनके पति प्रकाश मोहन मिश्रा पार्टी के सदस्य नहीं है. गिरफ्तारी उनका व्यक्तिगत मामला है. पार्टी का कोई लेना देना नहीं है.

सिवान में डबल मर्डर से सनसनी, मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर लाखों ठगे समेत बिहार की चार क्राइम खबरें

https://lagatar.in/sensation-due-to-double-murder-in-siwan-four-crime-news-from-bihar-including-fraud-in-the-name-of-job-in-muzaffarpur/

December 15, 2024 in बिहार

समस्तीपुर में जमीन विवाद में हुई गोलीबारी में दो की मौत, एक घायल

Bihar : बिहार में हत्या, सड़क दुर्घटना और ठगी के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. यहां समस्तीपुर व सिवान जिले में चार लोगों की निर्मम हत्या कर दी गयी है. वहीं वैशाली में तेज रफ्तार बोलेरो ने दो सगे भाईयों को कुचल डाला है. इतना ही नहीं मुजफ्फरपुर में बीजेपी नेत्री के पति ने नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों की ठगी है. सबसे पहले बात करें समस्तीपुर जिले की तो यहां मोहिउद्दीननगर थाना क्षेत्र के करीमनगर इलाके में दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ. बात इतनी बढ़ गयी कि दोनों ओर से गोलीबारी होने लगी. इस गोलीबारी में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गये, जिनमें दो की मौत हो गयी. जबकि तीसरा युवक सौरभ का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है. मृतकों की पहचान करीमनगर पंचायत के उप सरपंच के बेटे नवीन कुमार सिंह और गौरव कुमार के रूप में हुई है. घटना के बाद पुलिस घटनास्थल पर कैंप कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चला रही है.

.....

सिवान में लाठी-डंडे से पीट-पीटकर दो लोगों को निर्मम हत्या

दूसरी घटना सिवान जिले से सामने आ रही है. यहां सराय थाना क्षेत्र के मखदूम सराय लहेरा टोली में दो लोगों की लाठी-डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी गयी है. यह घटना भी शनिवार देर रात की बतायी जा रही है. मृतकों की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के बेला थाना क्षेत्र के बेला छपरा गांव निवासी मोहम्मद सैयद अली और सिवान जिले के सराय थाना क्षेत्र स्थित पुरानी किला मोहल्ला निवासी फकीर के रूप में की गयी है. घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गयी है. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा दिया है. पुलिस ने मकान मालिक से पूछताछ कर रही है. वहीं कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

.....

तेज रफ्तार बोलेरो ने दो संगे भाईयों को कुचला, एक की मौत, परिजनों ने सड़क जाम की

तीसरी घटना वैशाली से सामने आ रही है. यहां हाजीपुर-महुआ मुख्य मार्ग स्थित सदर थाना क्षेत्र के रंगीला चौक के पास तेज रफ्तार बोलेरो ने दो सगे भाईयों को कुचल डाला. दोनों भाईयों को आनन-फानन में सदर

अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने एक को मृत घोषित कर दिया. वहीं दूसरे का इलाज वहां चल रहा है. मृतक की पहचान सदर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर निवासी राजेश माझी के पुत्र विक्की कुमार (12 वर्ष) के रूप में हुई है. वहीं घायल की पहचान आकाश कुमार के रूप में की गयी है.

पिता के लिए घर से खाना लेकर जा रहे थे दोनों भाई

घटना के संबंध में बताया जाता है कि दोनों भाई घर से अपने पिता के लिए खाना लेकरजा रहे थे. तभी रंगीला चौक के पास एक अनियंत्रित बोलेरो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. घायल अवस्था में दोनों को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने एक को मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद परिजनों ने हाजीपुर-महुआ मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और प्रशासन से कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. सड़क जाम की सूचना पर सदर थानाध्यक्ष रविकांत पाठक मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं. लेकिन प्रदर्शनकारी समझने को तैयार नहीं है.

.....

आईबी, सीआईडी और राष्ट्रीय मानवाधिकार में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से 12 लाख की ठगी

चौथी घटना मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है. यहां औराई पुलिस ने नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले बीजेपी नेत्री के पति को गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के अनुसार, धरहरवा गांव निवासी प्रकाश मोहन मिश्रा इंटेलीजेंस ब्यूरो, सीआईडी और राष्ट्रीय मानवाधिकार में नौकरी दिलाने के नाम पर औराई के अलग-अलग गांव के आधा दर्जन युवकों से 12 लाख रुपये की ठगी की है. प्रकाश ने ऑनलाइन ऐप, बैंक अकाउंट और कैश में ठगी के पैसे लिये हैं. इतना ही नहीं आर्म्स लाइसेंस बनाने के नाम पर उसने एक व्यक्ति से 50 हजार ले लिये और उसे फर्जी आर्म्स लाइसेंस पकड़ा दिया.

इन व्यक्तियों से लिये इतने पैसे

प्रकाश ने विपिन कुमार से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में नौकरी दिलवाने के नाम पर 25 हजार रुपये लिये. इसके बाद भी ऑफर लेटर के नाम पर कई बार पैसे लिये. इतना ही नहीं आर्म्स लाइसेंस बनवाने के लिए 50 हजार लिया और फर्जी लाइसेंस पकड़ा दिया. प्रकाश ने अमरेंद्र अरविंद को भी **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** में नौकरी दिलवाने के नाम पर एक लाख लिया. वहीं फतेहपुर बरौना के देवेंद्र राम को सीआईडी में नौकरी दिलाने की बात कहकर दो लाख लिये. हथौड़ी थाना के धनुषी निवासी सरिता कुमारी को आईबी में नौकरी लगाने की बात कहकर तीन लाख 40 हजार ठगे.